भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *10

उत्तर देने की तारीख : 20.07.2026

एमएसएमई के कार्यकरण पर एलपीजी की कमी का प्रभाव

***10. श्री ए.ए. रहीमः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचालन बंद करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में एलपीजी की कमी के कारण एमएसएमई के बंद होने और उसके परिणामस्वरूप रोजगार के छिन जाने का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार कारोबार के बंद होने और नौकरियों के छिन जाने सहित एमएसएमई पर एलपीजी की कमी के प्रभाव से संबंधित अध्ययन करने के लिए तैयार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *10, जिसका उत्तर दिनांक 20.07.2026 को दिया जाना है, के संदर्भ में विवरण

(क) : पिछले 3 वर्षों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) तथा उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 1.65 करोड़ (दिनांक 01.04.2023 तक) से बढ़कर 8.84 करोड़ (दिनांक 30.06.2026 तक) हो गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्यमों की वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : पिछल 3 वर्षों के दौरान 1.22 लाख एमएसएमई ने अपना प्रचालन रोक दिया है/बंद कर दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) एवं (घ) : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि फरवरी, 2026, में पश्चिम एशिया में छिड़े विवाद से पूर्व भारत में अपने एलपीजी उपभोग का लगभग 60 प्रतिशत आयात किया था जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते मंगाया जा रहा था। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने सक्रिय रूप से कई कदम उठाए हैं ताकि एलपीजी आपूर्ति में स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। इनमें एलपीजी के घरेलू उत्पादन में त्वरित वृद्धि, घरेलू एलपीजी उपभोग को प्राथमिकता प्रदान करना, आयात के स्रोतों का विविधीकरण, व्यापक रूप से स्टॉक प्रबंधन तथा अंर्तक्षेत्रीय आवंटन शामिल हैं ताकि स्थानीय कमियों को दूर किया जा सके। हालांकि, वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्तियों को राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ हर स्तर पर समन्वय स्थापित करके प्रारंभ में मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप विनियमित किया गया था, तथापि इस आपूर्ति प्रक्रिया में उन्होंने धीरे-धीरे वृद्धि की है, और अब सरकार ने गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है, जिससे यह आपूर्ति पश्चिमी एशिया के संकट से पूर्व की स्थिति के स्तर पर पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में एलपीजी की आपूर्ति, जिसे इस संकट के प्रारंभ के समय स्थगित कर दिया गया था, को संकट से पूर्व के स्तर के 50 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है, जिससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को अत्यधिक राहत प्राप्त हुई है।

अनुबंध-I

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 10, जिसका उत्तर दिनांक 20.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पोर्टल (उद्यम+यूएपी) पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या					
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2026 तक पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,364	4,311	4,421	23,835
2	आंध्र प्रदेश	13,13,738	14,16,817	8,42,436	43,99,120
3	अरुणाचल प्रदेश	10,966	14,512	15,227	56,685
4	असम	4,01,735	4,69,598	4,73,141	18,01,583
5	बिहार	16,30,735	11,27,335	9,92,965	48,83,873
6	चंडीगढ़	22,363	17,200	18,305	95,562
7	छत्तीसगढ़	4,73,981	3,93,443	3,02,538	15,09,998
8	दिल्ली	4,19,078	3,16,815	3,73,245	17,39,739
9	गोवा	46,017	31,902	24,184	1,43,497
10	गुजरात	13,85,333	9,84,762	9,38,688	48,32,959
11	हरियाणा	5,18,291	5,41,329	4,99,501	23,44,388
12	हिमाचल प्रदेश	88,064	1,00,707	75,713	3,88,159
13	जम्मू और कश्मीर	2,90,977	2,18,798	1,51,927	9,39,388
14	झारखंड	6,13,263	3,74,185	3,41,285	17,64,992
15	कर्नाटक	15,34,850	17,08,352	9,85,195	55,51,990
16	केरल	6,21,158	5,04,857	3,97,819	20,71,684
17	लद्दाख	7,169	4,215	2,824	21,777
18	लक्षद्वीप	392	1,130	369	2,563
19	मध्य प्रदेश	13,69,722	13,73,822	9,95,847	53,99,203
20	महाराष्ट्र	27,22,198	25,60,332	22,74,746	1,12,44,409
21	मणिपुर	46,810	45,283	45,721	1,97,221
22	मेघालय	15,696	21,065	30,954	91,496
23	मिजोरम	16,422	14,038	11,803	60,615
24	नागालैंड	25,869	18,345	21,157	83,262
25	ओडिशा	10,41,196	5,82,500	5,69,689	27,98,074
26	पुडुचेरी	35,590	31,014	20,661	1,18,873
27	पंजाब	5,94,038	5,75,950	4,61,697	23,61,758
28	राजस्थान	11,28,989	12,46,864	10,45,485	51,09,848
29	सिक्किम	7,923	13,167	10,871	39,980
30	तमिलनाडु	17,67,156	16,64,365	13,82,933	68,34,338
31	तेलंगाना	10,20,247	8,91,984	15,33,608	44,22,548
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9,455	7,464	7,531	39,723
33	त्रिपुरा	1,68,557	67,622	57,642	3,39,506
34	उत्तर प्रदेश	25,17,504	20,13,031	22,30,953	1,00,24,280
35	उत्तराखंड	2,09,599	1,54,057	1,60,180	7,53,174
36	पश्चिम बंगाल	27,63,990	10,91,960	10,61,955	59,30,456
कुल		**2,48,44,435**	**2,06,03,131**	**1,83,63,216**	**8,84,20,556**

अनुबंध-II

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 10, जिसका उत्तर दिनांक 20.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	प्रचालन बंद करने वाले/बंद हुए उद्यमों की कुल संख्या		
		वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26	47	58
2	आंध्र प्रदेश	499	1,401	2,407
3	अरुणाचल प्रदेश	2	0	69
4	असम	47	46	1,537
5	बिहार	677	1,828	1,376
6	चंडीगढ़	12	31	69
7	छत्तीसगढ़	249	459	883
8	दिल्ली	203	139	238
9	गोवा	61	89	162
10	गुजरात	2,307	3,534	5,362
11	हरियाणा	842	271	776
12	हिमाचल प्रदेश	38	287	257
13	जम्मू और कश्मीर	241	566	1,325
14	झारखंड	365	734	1,025
15	कर्नाटक	822	2,187	3,708
16	केरल	591	1,157	2,026
17	लद्दाख	3	15	17
18	लक्षद्वीप	0	1	5
19	मध्य प्रदेश	552	1,961	2,861
20	महाराष्ट्र	4,800	9,702	14,297
21	मणिपुर	33	186	228
22	मेघालय	1	0	92
23	मिजोरम	5	21	41
24	नागालैंड	7	16	23
25	ओडिशा	431	875	1,817
26	पुडुचेरी	56	119	137
27	पंजाब	65	155	890
28	राजस्थान	1,682	3,274	4,943
29	सिक्किम	0	1	81
30	तमिलनाडु	2,589	4,900	6,707
31	तेलंगाना	220	1,981	2,817
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	28	43	55
33	त्रिपुरा	10	26	69
34	उत्तर प्रदेश	1,444	1,368	2,897
35	उत्तराखंड	234	448	685
36	पश्चिम बंगाल	686	1,578	2,807
कुल		**19,828**	**39,446**	**62,747**